"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत्. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2011—कार्तिक 6, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्रमांक ई-1-2/2011/1/2.—श्रीमती व्ही. बी. उमादेवी, भा.व.से. (सीजी: 1987), को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

क्रमांक ई-1-2/2011/1/2.—श्री जी. एस. धनंजय, भा.प्र.से. (सीजी: 1997), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री के. डी. पी. राव, भा.प्र.से. (1988) आयुक्त-सह-संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पदेन सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992) सचिव, खेल एवं युवक कल्याण विभाग तथा सचिव, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव-सह-आयुक्त, महिला एवं बाल विकास तथा सचिव, समाज कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री मनोहर पाण्डे, भा.प्र.से. (1993) आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, संस्कृति तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक 2024/2220/2011/1-8.—श्री बी. आनंद बाबू (भा.व.से.) वन संरक्षक, की सेवाएं वन विभाग से लेते हुए, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रायपुर का प्रभार भी सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

क्रमांक एफ 9-14/2011/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-07-2011 द्वारा श्री डी. डी. कुंजाम (अपर संचालक) को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग पदस्थ किया गया है. एतद्द्वारा श्री कुंजाम को उप सचिव के स्थान पर संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-2/2010/1/5.—वर्ष 2011 के अवकाशों के संबंध में जारी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 नवम्बर, 2011 में "गुरू गोविंद सिंह" के जन्म दिवस पर गुरुवार, दिनांक 05 जनवरी, 2011 पौष 15, 1932 को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया गया है.

2. चूंकि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में "गुरू गोविंद सिंह" का जन्म दिवस गुरुवार 15 पौष, 1933 शक संवत दिनांक 05 जनवरी, 2012 के स्थान पर शनिवार दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 पौष 10, 1933 को घोषित किया गया है. अतएव राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त अवसर पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 को भी ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2011

क्रमांक 212/01/2011/1-8/स्था.—श्री कमर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 10-1-2011 से 22-1-2011 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कमर अली को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमर अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2011

क्रमांक 332/45/अव./2011/1-8/स्था.—श्री भगवान सिंह कुशवाह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 14-2-2011 से 5-3-2011 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री भगवान सिंह कुशवाह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री भगवान सिंह कुशवाह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2011

क्रमांक 334/93/अव./2010/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 59-60/03/2011/1-8/स्था., दिनांक 17-1-2011 द्वारा श्री वी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 10-1-2011 से 14-1-2011 तक 05 दिवस स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15-1-2011 से 20-1-2011 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पैरा-2, 3 एवं 4 विभागीय आदेश दिनांक 17-1-2011 के अनुसार यथावत् होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2011

क्रमांक/एफ 1/32/दो गृह/भापुसे/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेंद्र नारायण दास, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, बीजापुर को व्यक्तिगत कार्य हेतु दिनांक 27-06-2011 से दिनांक 13-07-2011 तक कुल 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है.

2. श्री राजेंद्र नारायण दास, भा.पु.से. के उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री बी. पी. राजभानू, रा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बीजापुर को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

3. श्री राजेंद्र नारायण दास, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, बीजापुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री राजेंद्र नारायण दास, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, बीजापुर के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेंद्र नारायण दास, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, बीजापुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ-10-17/2011/16.—छत्तीसगढ़ श्रम निधि अधिनियम, 1982 की धारा 33 (2) (ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11 (2) दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. **मृत्यु सहायता योजना :—**

(अ) योजना का प्रावधान:—

(i) योजना का नाम श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना 2011 होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के दुर्घटनावश मृत्यु होने पर निम्नानुसार सहायता राशि प्रदान की जावेगी.

क्रमांक	वर्तमान सहायता राशि	संशोधित सहायता राशि
1.	1,000/-	10,000/-

(iii) योजना के प्रावधान में किया गया संशोधन छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता:—

(i) योजना के अन्तर्गत स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिक जो मंडल को अभिदाय देते हैं के दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उनके परिवारजनों को मृत्यु सहायता राशि की पात्रता होगी.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया:—

(i) आवेदन पत्र में श्रमिक के परिजनों (पत्नी, पुत्र/पुत्री अथवा अन्य परिजनों) में किसी एक का हस्ताक्षर होना चाहिये.

(ii) निर्धारित प्रारूप में आवेदन श्रम कल्याण मंडल में नियोक्ता के माध्यम से मृत्यु **दिनांक से तीन माह** (03 माह) के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

(द) **अन्य विवरण:—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मंडल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 10-18/2011/16.—छत्तीसगढ़ श्रम निधि अधिनियम, 1982 की धारा 33 (2) (ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11 (2) दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. **शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना :—**

(अ) **योजना का प्रावधान:—**

(i) योजना का नाम छात्रवृत्ति योजना 2011 होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिकों के (बालक/बालिकाओं) को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रवृत्ति की राशि निम्नानुसार प्रदाय की जावेगी.

क्रमांक	शैक्षणिक कक्षा	वर्तमान छात्रवृत्ति राशि	संशोधित छात्रवृत्ति राशि
1.	6वीं से 12वीं	500/-	1,000/-
2.	स्नातक	600/-	2,500/-
3.	स्नातकोत्तर	1,200/-	3,000/-

(iii) योजना के प्रावधान में किया गया संशोधन छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता:—**

(i) योजना के अन्तर्गत स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत श्रमिक जो मंडल को अभिदाय देते हैं की दो पुत्र/पुत्री को जो कक्षा पांचवी पास से स्नातकोत्तर, आई.टी.आई., बी.ई., पॉलीटेक्निक, एम.बी.ए., एम.बी.बी.एस. आदि उच्च शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत हैं को पात्रता होगी.

(ii) श्रमिक का मासिक वेतन 10,000/- रु. से अधिक नहीं होना चाहिये.

(iii) श्रमिक की छात्र/छात्रा जिसने गत परीक्षा में 60% (प्रथम डिवीजन) या अधिक प्राप्तांक प्राप्त किए हों को ही योजना का लाभ प्राप्त होगा.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया:—**

(i) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ उपरांत मंडल द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु तिथि का निर्धारण पृथक से किया जावेगा.

(ii) आवेदन पत्र में नियोजन/स्कूल कालेज द्वारा अध्ययनरत कक्षा का सत्यापन के साथ आवेदक छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर होना चाहिये.

(iii) निर्धारित प्रारूप में आवेदन श्रम कल्याण मंडल में नियोक्ता के माध्यम से समयावधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

(द) **अन्य विवरण:—**

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मंडल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 1-70/2010/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा रायपुर के राजस्व जिले के भीतर वर्तमान में गठित श्रम न्यायालय का विभाजन करते हुए अर्थात् श्रम न्यायालय, क्रमांक-01 एवं श्रम न्यायालय क्रमांक-02 का गठन करती है, श्रम न्यायालय, क्रमांक-01 में नगर निगम, रायपुर की सीमा क्षेत्र के भीतर एवं नगर पालिका, बीरगांव की सीमा क्षेत्र के भीतर एवं रायपुर जिला के धरसींवा विकासखण्ड के क्षेत्र के भीतर उद्भूत श्रम विवादों के प्रकरण पंजीबद्ध एवं विधि अनुसार निराकृत किये जायेंगे तथा रायपुर जिले की 12 तहसीलों बलौदा बाजार, भाटापारा, सिमगा, बिन्द्रानवागढ़, राजिम, पलारी, आरंग, तिल्दा, अभनपुर, कसडोल, बिलाईगढ़, देवभोग एवं महासमुंद राजस्व जिला को सम्मिलित करते हुए श्रम न्यायालय क्रमांक-02 का गठन करती है जिसमें इन क्षेत्रों से उद्भूत, श्रम विवादों के प्रकरण श्रम न्यायालय, क्रमांक-02 में पंजीबद्ध एवं विधि अनुसार निराकृत किये जायेंगे.

No. F 1-70/2010/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby, bifurcates the Labour Court presently constituted for Revenue District of Raipur into two Courts namely Labour Court No. 1 and Labour Court No. 2 Raipur. Labour disputes arising within the limits of Municipal Corporation, Raipur and within the Limits of Municipality Birgaon and only Dharsiwa block of Raipur Revenue District shall be registered and disposed of according to law by the Labour Court No. 1 Raipur, and Labour Court No. 2 Raipur is being constituted for the area comprising of 12 Tahsils of Raipur Revenue district viz. Baloda Bazar, Bhathapara, Simga, Bindranawagarh, Rajim, Palari, Aarang, Tilda, Abhanpur, Kasdol, Bilaigarh, Devbhog and whole Revenue District of Mahasamund to register and dispose of Labour disputes according to law, arising out of these areas.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2011

क्रमांक 16/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कंचनपुर	9.442	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	आमामुडा व्यपवर्तन योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक 06/अ/82/वर्ष 2010-11/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	कुल्हाड़ीकोट प. ह. नं. 48	1.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	राजाडेरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 15 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 79/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बड़ेभण्डार प. ह. नं. 39	3.458	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत अमली भौना माइनर नहर आर.डी. क्र. 900 मी. से 2400 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 80/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में **वर्णित भूमि की** अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. **अतः** भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के **उपबन्धों के अनुसार** इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में **उल्लेखित** अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रनभाठा प. ह. नं. 40	3.999	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत बालपुर माइनर नहर आर.डी.क्र. 1554 मी. से 3439 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 15 सितम्बर 2011

भू-**अर्जन प्रकरण** क्रमांक 81/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित **भूमि की** अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. **अतः** भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के **उपबन्धों के अनुसार** इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में **उल्लेखित** अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जेवरीडीह प. ह. नं. 39	3.056	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत बालपुर माइनर नहर आर.डी.क्र. 825 मी. से 1554 मी. तक बेलपाली माइनर नहर आर.डी.क्र. 270 मी. से 1050 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 82/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	सूपा प. ह. नं. 38	5.587	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत बुनगा माइनर-1 नहर आर.डी.क्र. 0 मी. से 1500 मी. तक एवं बुनगा माइनर-2 नहर आर.डी.क्र. 0 मी. से 1395 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 सितम्बर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 83/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बड़े भण्डार प. ह. नं. 39	2.068	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के अंतर्गत बालपुर माइनर नहर आर.डी.क्र. 0 मी. से 825 मी. तक निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 7/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	कारी प. ह. नं. 18	675, 676/2	0.024	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			698/1	0.052		
			704/1, 705/1	0.076		
			706	0.040		
			709	0.032		
			710/3	0.121		
			714/2	0.116		
			1604/1	0.032		
			761	0.206		
			784	0.012		
			588	0.181		
			590/4, 590/5, 591	0.680		
			708, 1598	0.068		
			759/1	0.096		
			674/2	0.133		
			589/1, 589/2, 589/3	0.548		
			727	0.080		
			760	0.117		
			668/3	0.012		
			672	0.214		
			707	0.028		
			783/03	0.016		
			673	0.044		
			781	0.048		
			782	0.128		
			762	0.032		
			676/1, 677	0.202		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1604/2	0.020		
			678	0.101		
			728	0.004		
			783/1	0.211		
			783/2	0.202		
		योग	40	3.876		

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1394/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 54/अ-82 वर्ष 2010-11—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	निमोरा प. ह. नं. 15	812	0.085	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य (योजना क्षेत्र) हेतु.
			813/1	0.033		
			813/2 (ख), 813/3 (ख), 813/4 (ख)	0.648		
			813/2, 813/3-4 (घ)	0.052		
			813/5	0.030		
			813/6	0.052		
			813/7	0.008		
			813/8	0.106		
			813/9	0.039		
			813/10	0.039		
			813/11	0.076		
			813/12	0.029		
			814/2	0.037		
			814/3	0.094		
			814/4	0.190		
			814/5	0.092		
			814/6	0.087		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1125/1, 1129/2	0.446		
			1125/2, 1127/2, 1129/3	0.372		
			1126/3	0.263		
			1126/9	0.202		
			1126/10	0.028		
			1126/12	0.016		
			1126/17	0.017		
			1126/18	0.024		
			1126/20	0.036		
			1126/21	0.077		
			1126/22	0.041		
			1126/23	0.175		
			1127/1, 1129/4	0.372		
			1128/2	0.213		
			1129/1	0.101		
			1129/5	0.045		
			1129/6	0.045		
			1129/7	0.142		
			1129/8	0.137		
			1130/3	0.121		
			1131	0.470		
			1132	0.975		
			1133/1, 1133/3	0.227		
			1133/2	0.202		
			1133/4	0.263		
			1133/6	0.336		
			1134/3	0.175		
			1134/4	0.050		
			1135/5	0.110		
			1135/6	0.122		
			1135/7	0.292		
			1136/2	0.279		
			1137/2	0.162		
			1139/2	0.040		
			1140/3	0.340		
			1141/1	0.166		
			1141/2	0.149		
			1141/3	0.146		
			1142/3	0.045		
			1142/4	0.049		
			1145/1	0.207		
			1145/2	0.291		
			1147	0.538		
			1148	0.521		
			1149	0.316		
			1150	0.433		
			1151/1	0.457		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1151/2	0.077		
			1152	0.510		
			1153	0.379		
			1154	0.806		
			1155/1	1.469		
			1155/2	0.405		
			1157	0.069		
			1160/3	0.085		
			1160/4	0.085		
		योग	**73**	**15.816**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1406/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 53/अ-82 वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	खण्डवा प. ह. नं. 139/18	2	0.24	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य (योजना क्षेत्र) हेतु.
			4	0.42		
			7	0.61		
			12/1	0.08		
			13	0.70		
			14	0.39		
			15/1	0.72		
			16	0.55		
			17	0.40		
			18	0.48		
			19	0.46		
			21	0.68		
			22	3.53		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			24/1	0.44		
			26/1	1.48		
			29	0.15		
			31	0.38		
			100	0.67		
			109	0.55		
			223	0.82		
			232	0.45		
			233	0.72		
			235	3.24		
			371	0.17		
			659	0.30		
			677	0.30		
			680	0.20		
			746/1	0.05		
			746/3	0.05		
			746/4	0.03		
			765	0.35		
			769	1.00		
			775/1	0.15		
			777	0.16		
			778/1	0.32		
			781	0.15		
			783	0.13		
			788	0.18		
			789	0.18		
			791	0.12		
			796	0.90		
		योग	41	22.90		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्रमांक 1429/क./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 52/अ-82 वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	तूता प. ह. नं. 137/16	1/6	0.242	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर के विकास कार्य हेतु.
			1/9	0.368		
			2/7	0.235		
			2/9	0.081		
			5/1	0.619		
			5/2	1.271		
			5/3	0.809		
			5/4	0.162		
			6/1	0.811		
			6/3	0.811		
			6/4	0.586		
			7/2	0.065		
			8/2	0.405		
			8/4	0.933		
			9	1.118		
			10	1.068		
			11	0.138		
			13/3	0.259		
			16/12	0.405		
			18/2	0.199		
			18/3	0.299		
			18/4	0.291		
			47/3-4	1.958		
			47/7	1.416		
			82/1	0.405		
			97/5	1.619		
			105/7	0.045		
			118	0.664		
			182	0.251		
			183	0.326		
			184/1	0.852		
			184/2	0.852		
			188/2	0.223		
			190	1.056		
			228/1	0.474		
			240/1	0.341		
			241/1	0.228		
			241/3	0.227		
			242/1	0.486		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			242/3	0.020		
			251/3	0.206		
			251/7	0.190		
			257/1	0.040		
			257/3	0.069		
			266/1	0.040		
			273/1	0.259		
			276/2	1.368		
			277	0.129		
			301/3	0.376		
			303/9	1.000		
			322/4	0.056		
			327	0.372		
			334/5	0.053		
			334/6	0.182		
			346/1	0.295		
			346/5	0.036		
			407/2	0.809		
			408/9	0.097		
			411/9	0.459		
			412/1, 412/5, 412/6, 414/3	0.169		
			[illegible] 412/4, [illegible]4/2	0.154		
			4[illegible]	0.089		
			422/1	0.243		
			422/2	0.316		
			422/3	0.102		
			423/1	0.032		
			423/2	0.365		
			424/6	0.081		
			424/9	0.324		
			424/10	0.356		
			424/12	0.081		
			425/1	0.153		
			425/3	0.341		
			425/4	0.154		
			426	0.134		
			427/2	0.202		
			429	0.109		
			430	0.105		
			432	0.077		
			433/1	0.089		
			433/2	0.081		
			434/2	0.081		
			435	0.21[illegible]		
			436/1	0.4[illegible]		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			439	0.425		
			442/1	0.020		
			442/2	0.170		
			444/2	0.405		
			453/1	0.263		
			453/2	0.246		
			453/5	0.680		
			455	0.134		
			460/1	0.473		
			460/2	0.478		
			460/3	0.473		
			461	0.174		
			465/1	0.045		
			465/2	0.413		
			465/4	0.243		
			465/5	0.243		
			465/7	0.348		
			465/6	0.364		
			465/8	0.020		
			465/9	0.239		
			465/10	0.234		
			465/11	0.081		
			465/12	0.073		
			465/13	0.081		
			465/14	0.344		
			465/15	0.178		
			465/17	0.158		
			466	0.930		
			467	0.247		
			468	0.251		
			469/1	0.231		
			469/2	0.231		
			470	0.117		
			471/4	0.405		
			472/1	2.710		
			473	0.707		
			474	0.073		
			483	0.045		
			511/2	0.008		
			549/2	0.105		
			561/2	0.162		
			561/3	0.121		
			561/4	0.202		
			563/2	0.202		
			597/1	0.212		
			597/3	0.222		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			597/4	0.219		
			597/5	0.228		
			633	0.130		
			636	1.033		
			648	2.736		
			682/3	0.050		
			683	0.032		
			684	0.061		
			688/2	0.211		
			720	0.174		
			725/1	0.089		
			728/2	0.044		
			729/6	0.202		
			734/1	0.405		
			747/1	0.206		
			751/3	0.202		
			799/1	0.041		
			807	0.053		
		योग	148	53.462		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 जून 2011

क्रमांक/4478/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-करमरी, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	3	0.081
योग	1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रतनभाट करमरी मार्ग पर मोतीनाला पुल के पहुंच मार्ग निमाण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है

राजनांदगांव, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक/6903/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बड़गांव, प. ह. नं. 98/39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.862 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
575/1	0.101
575/2	0.320
485/1	0.048
574/1	0.208
574/2	0.256
534	0.405
532/1	0.640
532/2	0.202
532/3	0.040
529	0.056
531	0.028
530/1	0.202
526/20	0.040
526/7	0.260
473/1	0.040
473/2	0.178
473/3	0.173
473/4	0.280
472/2	0.576
474	0.240
478	0.040
467/3	0.180
467/4	0.356
466/2	0.081
454, 484	0.160
503/1	0.240
479/1	0.360
479/2	0.630
456/2	0.056
455/1	0.160
499/1	0.028
455/2	0.462
454/6	0.040
454/5	0.234
454/4	0.202
483/6	0.056
483/7	0.109
482/2	0.160
482/1	0.280
486/2, 504/2	0.240
486/3, 405	0.280
498	0.485
505/1	0.098
505/2	0.190
505/6	0.202
403/5	0.020
505/3	0.081
503/2	0.088
493/6	0.101
493/5	0.056
योग 53	9.862

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंहड़ परियोजना के दायीं तट फीडर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक/6904/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुरिया
(ग) नगर/ग्राम-गोंडलवाही, प. ह. नं. 98/42
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.637 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
741	1.655
746/1	0.020
746/4	0.081
735/1	0.118
747/1	0.283
327/1	0.012
330/1	0.073
733/2	0.077
332	0.777
611/1	0.040
733/1	0.057
611/2	0.129
612	0.024
613/1	0.332
614	0.008
627/1	0.376
627/2	0.195
613/2	0.328
628	0.324
629	0.057
630	0.004
631/1	0.243
631/2	0.243
632	0.104
635	0.008
633	0.431
636	0.336
666	0.232
683	0.040
665	0.153
664/1	0.348
664/2	0.128
661/1	0.081
671/1	0.097
671/2	0.097
701/1	0.008
672/1	0.129
673	0.032
672/2	0.129
674	0.049
675	0.069
676	0.081
678	0.142
679	0.388
680/1	0.101
687/1	0.024
687/2	0.178
688	0.152
690	0.084
691	0.040
696	0.024
695	0.245
694	0.320
595	0.004
995	0.072
996	0.040
1046/1	0.180
1046/2	0.060
677	0.288
योग 58	10.637

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंहड़ परियोजना के दायीं तट फीडर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 सितम्बर 2011

क्रमांक/6905/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुरिया

(ग) नगर/ग्राम-चिखलाकसा, प. ह. नं. 94/41

(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.875 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
403/3	1.280
413/1	0.850
414/3	0.065
414/1	0.385
415/13	0.121
415/12	0.227
415/3	0.008
415/4	0.020
415/10	0.304
415/1	0.449
429/5	0.178
439/3	0.121
438/1	0.012
428/2	0.774
312/3	0.731
428/1	0.251
428/3	0.138
429/1	0.323
429/4	0.259
429/3	0.271
306	0.041
307/3	0.446
307/1	0.202
310	0.560
311	0.020
317/2, 317/3, 317/4	0.559
313/5, 315/8, 316/2, 316/3	0.283
317/7	0.235
312/2	0.356
283/2	0.105
277/2, 283/3	0.247
274/2	0.142
430/1	0.134
439/5	0.778
योग 34	10.875

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंहड़ परियोजना के दायीं तट फीडर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्रमांक/7259/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-सिंगपुर, प. ह. नं. 20

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.96 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
287/1	0.03
286/1	0.15
286/2	0.09
285/3	0.24
310	0.07
311	0.18
284/2	0.05
316/11	0.26
316/16	0.19
316/10	0.08
317/1	0.17

	(1)	(2)
	317/3	0.26
	317/2	0.19
योग	13	1.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनकी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्रमांक/7260/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मचानपार, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.785 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	618/1	0.020
	624, 783	0.246
	716/3	0.024
	618/2	0.105
	619	0.032
	625/3	0.004
	623/2	0.041
	744/3	0.065
	628	0.198
	744/2	0.008
	744/4	0.040
	633/8	0.081
	633/5	0.157
	709/3	0.093
	633/1, 633/9	0.057
	633/6	0.057
	709/1	0.049
	709/4	0.012
	710	0.073
	717	0.049
	716/1	0.032
	716/2	0.045
	718	0.004
	715/1	0.125
	715/2	0.012
	713/4	0.008
	744/1	0.008
	744/5	0.024
	743/1	0.004
	743/2	0.008
	743/3	0.081
	752/1	0.049
	752/5	0.081
	752/2	0.008
	754/1	0.146
	754/9	0.008
	754/7	0.081
	754/16	0.049
	754/2	0.290
	754/5	0.016
	754/6	0.105
	754/3	0.028
	754/14	0.081
	754/12	0.016
	754/8	0.024
	754/4	0.041
योग	46	2.785

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के खैरी माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्रमांक/7261/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगांव
(ग) नगर/ग्राम-गुंगेरी नवागांव, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.003 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	363/1	0.024
	364/2	0.008
	359/2	0.036
	361/2	0.053
	346	0.004
	353	0.194
	347	0.073
	593/2	0.012
	352/4	0.024
	351/1	0.008
	442	0.113
	440	0.032
	446	0.125
	454/2	0.004
	593/1	0.093
	593/4	0.004
	592/3	0.024
	592/1	0.101
	590/3	0.036
	590/9	0.020
	590/5	0.004
	590/6	0.040
	590/8	0.020
	590/7	0.057
	589/1	0.028
	358/3	0.101
	359/1	0.061
	358/2	0.077
	354/2	0.036
	354/1	0.053
	443/1	0.197
	443/3	0.012
	441/1	0.008
	445/1	0.049
	445/2	0.020
	447/1	0.057
	445/3	0.008
	454/3	0.142
	454/5	0.045
योग	39	2.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला **बैराज** के बरगांव माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्रमांक/7262/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगांव
(ग) नगर/ग्राम-झींका, प. ह. नं. 21
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.251 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54	0.190
50	0.004

(1)	(2)
76	0.057
144	0.125
56/4	0.077
71/1	0.069
71/2	0.105
94/4	0.081
72	0.053
74/1	0.049
74/3	0.020
75	0.028
95/1	0.073
96	0.036
145/2, 183/2	0.085
94/1	0.069
74/2	0.020
145/1, 183/1	0.210
146/3	0.004
146/4	0.016
148/2	0.012
142	0.121
171/1	0.125
171/2	0.157
55	0.153
171/3	0.069
168	0.036
170/1	0.061
164/2	0.004
49	0.065
170/2	0.008
141/2	0.069
योग 32	2.251

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के दीवानभेड़ी माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्रमांक/7263/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-खैरी, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.471 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
88	0.137
109/3	0.133
87	0.205
195	0.061
77	0.137
206	0.153
79	0.004
80/1	0.069
68/1	0.041
68/3	0.040
67/7	0.081
67/11	0.069
67/8	0.008
67/9	0.045
111/1	0.117
111/2	0.053
118/1	0.081
113	0.008
114/1	0.215
114/2	0.061
194/3	0.053
194/5	0.057
194/2	0.101
78/1	0.081
204	0.073
196/1	0.036
197/2	0.053
197/1	0.093

	(1)	(2)
	198	0.105
	194/4	0.101
योग	30	2.471

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के खैरी सब माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्रमांक/7264/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-भदेरानवागांव, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	267	0.56
योग	1	0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोपालपुर से भदेरानवागांव सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिच, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 27 अगस्त 2011

रा.प्र.क्र. 20 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मानपुर, प. ह. नं. 60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.423 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	157/6	0.065
	157/3	0.101
	157/5	0.089
	157/9	0.081
	157/10	0.040
	157/12	0.036
	157/15	0.065
	157/13	0.040
	114	0.182
	115/3	0.016
	142/1	0.113
	134	0.129
	126/4	0.413
	142/2	0.053
योग	14	1.423

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झाडूटोला जलाशय के अंतर्गत डूबान में अर्जित की गई भूमि का पूरक अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 27 अगस्त 2011

पं.प्र.क्र. 28 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कबीरधाम

(ख) तहसील-कवर्धा

(ग) नगर/ग्राम-मैनपुरी, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.697 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24/1	0.526
24/3	0.081
24/4	0.522
25/2	0.574
35/1	0.032
41/2	0.142
38/3	0.737
38/1	0.732
39/1	0.915
39/2	0.752
41/1	0.113
23/1	0.024
19	0.024
20/5	0.032
21/1	0.049
124/6	0.158
124/7	0.040
124/8	0.045
124/9	0.045
124/10	0.045
122/3	0.109
योग 21	5.697

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मैनपुरी जलाशय के विस्तारीकरण में डूबान, बांधपार एवं नहर में अर्जित की गई भूमि.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-खरसिया

(ग) नगर/ग्राम-बिंजकोट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-144.411 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
120	0.198
252/4	0.720
194/7	0.194
194/9	0.049

(1)	(2)
194/12	0.243
519	0.347
520	0.089
449	0.097
485	0.117
474/1	0.203
509/1	0.198
517/8	0.325
182/1	0.231
166/2	0.356
435/6	0.227
360/3	0.040
439	0.490
488	0.170
172/6	0.049
517/16	0.032
517/19	0.077
523/2	0.069
511/2	0.089
492/5	0.279
356/1	0.162
443/3	0.162
450/2	0.069
450/6	0.073
481/3	0.036
483/1	0.040
489/1	0.061
138/1 क	0.080
36	0.008
360/2	0.020
252/1	0.721
153/1	0.096
175	0.097
176	0.016
477/2	0.340
477/3	0.276
249/1	0.227
368	0.405
484/1 क	0.162
436/3	0.069
194/1	0.198
194/10	0.081
194/16	0.360
382/2	0.364
128/2	0.045
128/3	0.046
383/4	0.053
383/5	0.063
383/6	0.149
437/5	0.121
437/6	0.042
437/7	0.162
503/2	0.127
252/3	0.720
56/1	0.040
136	0.202
247/1	0.036
152/2	0.218
354/1 क	0.053
354/2	0.445
369/4	0.020
369/12	0.088
22	0.154
356/2	0.141
450/1	0.020
450/4	0.024
450/7	0.090
481/1	0.037
483/2	0.020
435/5	0.194
307/1	0.040
254	0.470
148	0.202
517/17	0.012
517/20	0.081
511/3	0.065
523/3	0.057
172/7	0.049
353/3	0.057
515/2	0.307
153/3	0.049
191/5	0.041
281/4	0.160
281/7	0.112
281/11	0.101
281/14	0.197
379/3	0.049
246	0.012
492/2	1.097
23/2	0.461
252/2/1	0.101
252/2/3	0.506

(1)	(2)	(1)	(2)
118/3	0.056	170/2	0.243
194/2	0.526	42/1	0.474
245/2	0.385	494	0.154
35/3	0.478	527	0.150
29/2	0.373	534	0.506
30	0.202	100	0.210
54/3	0.036	42/2	0.089
366	0.397	170/1	0.239
355	0.113	350	0.401
364	0.202	353/1	0.235
482	0.146	447	0.243
360/4	0.040	204	0.049
31	0.405	436/2	0.202
114	0.559	123/7	0.223
115/2	0.243	435/4	0.210
117/2	0.162	38/2	0.083
117/6	0.132	158/2	0.298
435/2	0.073	138/2	0.146
35/4	0.142	487/2	0.291
143	0.259	41	0.227
443/2	0.142	34/1	0.125
481/2	0.040	243/1	0.055
484/1 ख	0.219	383/1	0.057
191/4	0.041	383/2	0.069
281/3	0.149	437/1	0.197
281/6	0.116	437/2	0.174
281/10	0.093	184/1	0.063
281/15	0.209	128/1	0.069
37/1	0.383	25	0.333
55	0.121	32	0.296
245/1	0.162	34/2	0.065
194/6	0.219	50	0.105
194/13	0.020	243/2	0.093
194/11	0.324	351/1	0.081
118/1	0.049	383/3	0.050
194/5	0.125	437/3	0.053
194/8	0.073	437/4	0.042
194/14	0.061	515/1	0.053
194/15	0.202	353/2	0.040
56/2	0.040	503/1	0.097
356/3	0.061	109	0.300
443/1 ख	0.053	51	0.065
450/3	0.020	247/2	0.041
450/5	0.024	443/1 क	0.056
450/8	0.081	510	0.162
483/3	0.020	379/1	0.036

(1)	(2)	(1)	(2)
123/5	0.243	517/3	0.202
37/2	0.192	517/9	0.100
155	0.235	517/13	0.047
168	0.324	517/15	0.080
172/4	0.080	524/1	0.085
359	0.547	369/9	0.020
23/1	0.461	141	0.809
252/2/2	0.607	163	0.340
54/5	0.036	165	0.105
249/2	0.405	504	0.393
435/2	0.352	516	0.405
49	0.113	518	0.061
166/5	0.036	522	0.425
166/6	0.105	525	0.445
382/1	0.437	370	0.466
153/2	0.064	98	0.381
153/4	0.160	146	0.352
191/1	0.040	133	0.413
281/2	0.032	154	0.405
281/5	0.392	203	0.490
281/8	0.104	278	0.506
281/12	0.049	358	1.291
379/2	0.036	378	0.393
171	0.575	444	0.401
29/3	0.567	495	3.015
191/3	0.040	498/2	0.194
29/1	0.243	499	0.421
436/4	0.173	501	0.316
360/5	0.040	533	0.474
26	0.166	535	0.190
35/5	0.328	21	0.567
162/1	0.031	99	0.421
173/1	0.085	205	0.364
369/1	0.053	380	0.308
369/6	0.020	526	0.405
369/10	0.120	40	0.514
373/1	0.081	134	0.506
475/1	0.081	145	0.320
500/5	0.559	151	0.292
500/6	0.128	202	0.632
500/8	0.078	375	0.352
500/10	0.121	381	0.283
500/13	0.150	442	0.409
507/3	0.020	490	1.801
513	0.040	521	0.093
517/1	0.064	27	0.878

(1)	(2)	(1)	(2)
531	0.388	193	0.364
118/2	0.053	362	0.437
194/4	0.486	530	0.283
28	0.959	131	0.061
123/6	0.182	54/2	0.077
139	1.420	478	1.226
132	0.061	35/1	2.574
169	0.340	497	0.883
502	0.340	38/1	0.083
24/1	0.364	147/1	0.364
24/4	0.182	158/1	0.297
39/1	0.405	172/1 ख	0.075
44/1	0.081	172/2	0.162
44/4	0.101	172/5	0.049
44/7	0.101	369/8 ख	0.035
45/5	0.190	484/2	0.259
46/1	0.049	500/2	0.243
46/3	0.053	517/6	0.072
46/5	0.032	517/18	0.081
47/2	0.040	369/14	0.057
101/2	0.020	156/1	1.004
101/3	0.073	276	4.517
102/2	0.061	438	0.227
103/1	0.081	445	0.142
103/3	0.016	480	0.611
105/1	0.060	128/4	0.191
106/1	0.041	184/2	0.062
110	0.227	351/2	0.166
115/1	0.113	383/7	0.534
117/1	0.111	437/8	0.597
125/1	0.223	503/3	0.298
125/4	0.243	243/3	0.192
125/6	0.121	123/1	0.501
137/1	0.243	124	0.073
137/3	0.283	435/1	0.348
138/3	0.170	24/2	0.538
144/2	0.182	44/2	0.242
144/3	0.186	44/5	0.162
147/3	0.081	45/2	0.190
147/4	0.158	45/4	0.190
150/1	0.125	46/2	0.040
167/1	0.077	46/4	0.393
185/1	0.267	47/1	0.040
185/4	0.251	54/1	0.057
191/2	0.202	101/1	0.077
111	0.713	101/4	0.057

(1)	(2)	(1)	(2)
102/1	0.056	251	0.061
103/2	0.089	256	4.650
105/4	0.016	264	0.607
105/5	0.012	277	0.166
105/2	0.061	298	6.475
106/2	0.202	24/3	0.012
116/1	0.024	164	0.364
117/4	0.089	35/2	0.619
123/2	0.040	39/2	0.405
125/2	0.121	44/3	0.465
125/5	0.182	44/6	0.344
127/1	0.077	45/1	0.129
127/2	0.142	45/3	0.380
137/2	0.101	45/6	0.194
137/4	0.182	104	0.239
138/4	0.170	107	0.466
144/1	0.182	108	0.121
144/4	0.093	115/3	0.304
147/2	0.158	115/4	0.212
147/5	0.081	115/5	0.057
150/2	0.135	116/2	0.150
167/2	0.219	117/3	0.024
182/2	0.194	117/5	0.243
185/2	0.020	119	0.182
185/5	0.142	123/3	0.121
436/1	0.476	123/4	0.135
491/2	0.243	125/3	0.202
492/3	0.433	185/3	0.745
142	0.040	185/6	0.320
157	0.190	185/7	0.182
160	0.113	369/2	0.101
161	0.146	500/3	0.725
363	0.421	500/4	0.194
371	0.077	509/2	0.077
372	0.227	512	0.243
476	0.134	172/3	0.109
486	1.392	48	0.024
505	0.040	367	0.267
152/1	0.470	492/1	0.162
192	0.567	43	0.526
357	0.210	140	0.587
446	0.628	374	0.332
248	1.182	491/1	1.650
275	0.611	492/4	0.376
130	0.292	365/2	0.045
244	1.076	484/1 ग	0.115

(1)	(2)
190	0.356
361	0.231
365/1	0.064
431/1 क	0.021
448	0.417
477/1	0.748
487/1	0.033
529	0.332
126	0.198
135	0.417
174	0.170
532	1.153
252/5	0.526
252/6	1.497
33	0.243
179	0.235
506	0.705
536	0.821
537	0.991
54/4	0.077
54/6	0.057
112	0.591
149	0.405
166/1	0.081
166/3	0.036
166/4	0.024
162/2	0.030
173/2	0.085
369/3	0.107
369/11	0.020
369/13	0.088
373/2	0.081
474/2	0.101
475/2	0.081
500/7	0.128
500/9	0.072
500/11	0.081
500/14	0.209
507/2	0.061
508	0.405
514/1	0.028
514/3	0.073
517/2	0.129
517/4	0.170
517/5	0.064
517/7	0.032
517/10	0.032
517/14	0.112
524/2	0.085
369/7	0.020
156/2	0.189
156/3	0.061
138/1 ख	0.041
450/9	0.090
498/1	3.172
172/1 क	0.075
381/1	0.185
281/9	0.121
281/13	0.036
281/16	0.238
369/8 क	0.036
517/12	0.081
523/1	0.057
योग 527	144.411

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ को (औद्योगिक प्रयोजनार्थ) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.